न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र :– 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना –पत्र नम्बर 55/2025

गुरदयाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–प्रार्थी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र साहबराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ
2. कृष्ण कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. रिछपाल पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार संगरिया

–अप्रार्थीगण

राजस्व

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो प्रर्थाना पत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। प्रार्थी के नाम तहसील संगरिया के चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 30/25 मे एव इसी चक के खाता स 12/52 मे अप्रार्थी स 1 ता 3 के नाम कृषी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातो की जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 30/25 मे प.न 172/186 मु.न 25 के कि.न 11,12,13,18,19,20 मे आने जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की भूमि चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 30/25 मे प.न 172/186 मु.न 25 के कि.न 11,12,13,18,19,20 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी स 1 के कब्जा काश्त चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 12/52 मे प.न 172/186 मु.न 25 के कि. न 3 व 8 मे 0.016 है प्रत्येक का पूर्वी दिशा मे किला न 4 व 7 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा कुल 0.032 है का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी उक्त रास्ता के एवज मे भूमि या बजार मुलय जो भी अप्रार्थी स 1 उचित समझे देने को तैयार व तत्पर है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि अप्रार्थीगण चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 12/52 मे प. न 172/186 मु.न 25 के कि.न 3 व 8 मे 0.016 है प्रत्येक का पूर्वी दिशा मे किला न 4 व 7 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा कुल 0.032 है रास्ता स्वीकृत करवा राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवा देवे उक्त रास्ता के एवज मे भूमि या बजार मुलय जो भी अप्रार्थी स.1 उचित

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

समझे प्रार्थी से प्राप्त कर लेवे। परन्तु अप्रार्थीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह प्रार्थी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। उक्त रास्ता चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 12/52 मे प.न 172/186 मु.न 25 के कि.न 3 व 8 मे 0.016 है प्रत्येक का पूर्वी दिशा मे किला न 4 व 7 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा कुल 0.032 है मोका पर रास्ता चालू है जो काफी समय से प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने के लिऐ उपयोग करता आ रहे है एव अप्रार्थी स 1 अपनी अन्य कब्जा काश्त की भूमि चक न 4 एम.जे.डी खाता स 109/116 ज.स. 2070–2073 के प.न. 172/186 मु.न 25 किला न 16,17,24,25 मे आने जाने हेतु इसी रास्ता को उपयोग मे ले रहा है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत नही होनें के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी स 1 के मध्य विवाद बना रहता है व अप्रार्थी स 1 उक्त रास्ता को बंद करने व तारबंदी करने की धमकी दे रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। उक्त रास्ता की भूमि अप्रार्थी स 1 के कब्जा काश्त मे है अप्रार्थी स 2 व 3 को सहकाश्तकार होने के कारण बतौर अप्रार्थीगण के रूप मे प्रार्थना पत्र मे शामिल किया गया है। प्रार्थना पत्र बाबत व रास्ता स्वीकृत का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए प्रस्तूत कर निवेदन है चक न 4 एम.जे.डी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 12/52 मे प.न 172/186 मु.न 25 के कि. न 3 व 8 मे 0.016 है प्रत्येक का पूर्वी दिशा मे किला न 4 व 7 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा कुल 0.032 है का रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए अपना ज़वाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1696 दिनांक 19.06.2025 द्वारा प्रार्थी के पास कोई स्यायी रास्ता नही होना एवं वर्तमान में प्रार्थी जहा सं रास्ता स्वीकृति की मांग की है वहा से ही अपने खेत में आवागमन कर काश्त करना बतलाते हुए अप्रार्थी इन्द्राज पुत्र साहबराम जमीन के बदले जमीन देने पर सहमत होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 04 एमजेडी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुदा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक नं. 04 एमजेडी के पं.नं. 172/186 मु.नं. 25 के किला नम्बर 3 व 8 में 0.016 है.प्रत्येक के पूर्वी दिशा में किला नं. 4 व 7 से चिपता उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा प्रश्नगत रास्ते के सामने से छोड़कर चक 4 एमजेडी 172/186 मु.न. 25 किला नं. 8,9,10 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 11,12,13 के चिपता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर मू.अ. निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

नोट :– **उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा इस रास्ते स्वीकृत आदेश पर लागू नही है।**

आदेश आज दिनांक 12.9.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया